25.2.20

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./2020/174 दिनांक 30.01.2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 11.02.2020 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावें।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2019 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 22.01.2020 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही कराने पर अप्रालार्थी द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर में प्रथम अपील पेश की गई। जो इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 27.01.2020 को दर्ज रजिस्टर की गई। अपील पेश होने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर को नोटिस जारी किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा रिपोर्ट पत्रांक 117 दिनांक 12.02.2020 को प्रेषित कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम नीमला तहसील–जमवारामगढ के वर्ष 1889 के ख0नं0 14 के संबंध में प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि चाही गई थी। वांछित रिकार्ड लगभग 30 वर्ष पुराना है जिसे तलाशने पर भी पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त नही हुई। प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक 42 दिनांक 23.01.2020 द्वारा अवगत करवा दिया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पत्रांक 42 दिनांक 23.01.2020 द्वारा रिकार्ड 30 वर्ष पुराने होने के कारण तलाशने पर भी पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त नही होने की सूचना से अवगत करवा दिया गया है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है।

अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

Scanned with CamScanner